

पर्यावरण मित्र



प्रस्तावना पर्यावरण मित्र योजना

पृथ्वी पर उत्तरोत्तर गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे नदियों एवं श्रोतों का पानी पीने लायक ही नहीं रह गया है। उत्तरांचल जैसे राज्य जिसे उर्जा प्रदेश के रूप में विकसित किया जा रहा है उसका भविष्य में क्या हश्र होगा क्या आप लोग जानते हैं ? क्लोरोफ्लोरो कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ने से ओजॉन परत को क्षति पहुंच रही है बैज्ञानिकों द्वारा यह बताया जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव की ओर ओजॉन परत को क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा जो दिनप्रतिदिन क्षति पहुंचा है उससे ओजॉन परत में छेद हो गया है। वर्तमान समय में रेफ्रिजरेटर सिस्टम तथा बातानुकूलित मशीनों से जो गैस उत्सर्जित होती है उसमें से क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्सर्जित होती है इसके अतिरिक्त कई तरह के कार्बनिक पदार्थों का वातावरण में मिलने से ओजॉन परत को क्षति पहुंच रही है। परिणामस्वरूप प्रतिदिन पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है। बैज्ञानिक भोधों के अनुसार यह तथ्य संज्ञान में आया है कि यदि इसी दर से क्लोरोफ्लोरो कार्बन का रिसाव होता रहा तो ओजॉन परत में छेद होने के कारण सूर्य की पैराबैगिनी किरणें (अल्ट्रावायलेट किरणें) सीधे पृथ्वी पर पड़ने से चर्म रोग बढेगा। ओजॉन परत इन अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी में सीधे पड़ने से रोकती है। चर्म रोग के साथ-2 पृथ्वी की गर्मी भी प्रतिबर्ष बढ़ रही है आज यह आलम हो गया है कि गर्मी के कारण बर्षभर हिमालय में आच्छादित बर्फ भी सूखने की कगार पर है। हिमालय से बहने वाली सभी नदियाँ सदावाहिनी (बर्ष भर बहती) हैं जो जाड़ों में अपने न्यूनतम स्तर पर बहती है तथा जब देश के अन्य हिस्सों में गर्मी के कारण सूखे की स्थिति रहती है तो ये नदियाँ जल से पूर्णरूप भरी रहती हैं। यदि जिस गति से वर्तमान समय में हिमालय से बर्फ अदृश्य हो रहा है, उस परिवेश में आने वाले 50 सालों के बाद उर्जा प्रदेश के रूप में विकसित उत्तरांचल प्रदेश अपने इन नदी घाटी परियोजनाओं को निरन्तर नहीं चला पायेगी। मैं समझता हूँ कि यदि इसी गति से बर्फ पिघली तो आने वाले 50 बर्षों के बाद सरस्वती नदी की भाँति मात्र दंत कथाओं में गंगा और यमुना नदी का नाम रहेगा। आज पानी इतना दूषित हो चुका है कि अधिकतर बड़े लोग बोतल बंद पानी ही पी रहे हैं अगर यही गन्दगी का आलम रहा तो आने वाले बर्षों में हर व्यक्ति को बोतल बंद पानी पीने हेतु मजबूर होगा और पानी की क्या कीमत होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आपको यह भी जानकारी होगी कि उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों में जो बर्फ सदियों से पड़ी थी वह इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रही है। यदि यही आलम रहा तो समुद्र के किनारे स्थित सभी भाहर आने वाले कुछ बर्षों में जलमग्न हो जायेंगे। एकबात यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ-तहाँ आग लगने से करोड़ों की बन सम्पदा तो नष्ट होने से धरातल पर पड़े पत्ते आदि जलने से बारिस के पानी का रिसाव धरती पर न होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक पानी की कमी हो चुकी है। अतः मैं आप सभी लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि बनों में आग न लगाये,बनाग्नि को रोकें तथा रोकने में सहयोग करें।

इस प्रकार पर्यावरण का क्षरण न हो इसलिए बार-2 पर्यावरण विदों द्वारा पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी जाती है और पेड़ पौधों से निकलने वाला ऑक्सीजन कार्बनिक गैसों को नष्ट करती है जन संख्या का दबाव व मानव आवयकताओं के कारण हर दिन हजारों पेड़ों को

तो कटना ही है। बर्ष 1991-92 में ब्राजील की राजधानी रियोडिजिनियोरो में वि व अर्थ सम्मेलन (अर्थसमिट) हुआ था जिसमें वि व के सभी विकसित एवं विकास गील दे ाँ के पर्यावरणविदों द्वारा भाग लिया गया। जिसमें ऐजेन्डा 21 नामक ऐजेन्डा तैयार किया गया तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस का अंत किस तरह से किया जाय में बिचार बिम र्फ किया गया। रेफ्रिजिरे ान सिस्टम के प्रभाव को कम करने के लिए इसे त्यागने की सलाह दी गयी , जनसंख्या वृद्धि रोकने पर भी दवाव दिया गया किन्तु यह मात्र किताबी रहा तथा इसका बिकल्प न मिलने के कारण अभी भी लगातार उत्तरोत्तर मात्रा में प्र ाीतक ग्रहों का तथा फ्रिजिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है इसी प्रकार बर्तमान समय में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का इतना महत्व बढ़ गया है कि हम इसके प्रयोग को बंद नहीं कर सकते हैं किन्तु बातावरण में होने वाले इसके कुप्रभाव को कम अव य किया जा सकता है। आये दिनों प्र ासनिक अधिकारियों द्वारा प्लास्टिक पॉलिथीन बंद करने की बकालत की जाती है किन्तु जिन अधिकारियों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है वे भी इसके महत्व के कारण इसके प्रयोग का लोभ को नहीं त्याग रहे हैं ।

प्लास्टिक/पालीथीन के कूड़ें से हानियाँ

- प्लास्टिक खुले में जलाने से बिशैली गैसों निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर पृथ्वी की गरमी को बढ़ाने में सहायक हैं ।
- प्लास्टिक खाने से गाय भैंस आदि जानवरों की अकाल मृत्यु हो रही है तथा दूध पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है ।
- हजारों रू0 से निर्मित सीबर लाइनें चोक हो रही हैं इसका ताजा उदाहरण बिगत बर्ष मुम्बई ,मद्रास जैसे भाहरों में कई घरों में बाढ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी ।
- जिस स्थान पर प्लास्टिक गिरता है वह स्थान बंजर हो जाता है ।
- अधिकतर कूडा नालो मे गिरता है तथा सभी नाले नदियों मे गिरते है जिससे नदियाँ दूशित हो रही है ।
- प्लास्टिक व पालीथीन न तो सडती है और न ही गलती है इसलिए पालीथीन युक्त कूडा रखने हेतु हमे ा भूमि की आव यकता रहती है ।

अतः मैंने श्रीनगर भाहर में पहिले प्लास्टिक पर रोक लगायी और जब कभी भी देहरादून तथा ऋशिकेश की तरफ आता तो मैं स्वयं भी प्लास्टिक में सामान लेने हेतु मजबूर हो जाता इसलिए मुझे यह युक्ति सूझी कि क्यों न प्लास्टिक के दुश्प्रभाव को कम किया जाय तथा जनजागृति के माध्यम से विकसित दे ाँ की भाँति भारत में भी सुनियोजित कूडा निस्तारण प्रक्रिया अपनायी जाय। अतः मेरे द्वारा नगर पालिका श्रीनगर गढवाल के सहयोग से श्रीनगर में 11मार्च से पर्यावरण मित्र योजना का भुभारम्भ किया गया ।



पर्यावरण मित्र योजना

- प्रत्येक घरों से जैविक तथा अजैविक के आधार पर अलग-2 किया गया कूड़ा उठाने की योजना को पर्यावरण मित्र योजना नाम दिया गया है।
- इस योजना हेतु कुछ रिक् ो चालक तैनात किये गये हैं जिन्हें साइकिल रिक् 11 तथा डिब्बे अलग-2 तरह के कूड़े रखने हेतु दिये गये हैं, जो प्रति घरों से जैविक तथा अजैविक कूड़ा अलग-2 उठा रहे हैं।
- जैविक कूड़ा (सब्जियों, फल, पत्ते तथा अनाज से संबंधित क्षय गील कूड़ा) तथा अजैविक कूड़ा (कागज, प्लास्टिक, पॉलिथीन व अन्य सभी प्रकार का ठोस कूड़ा) एकत्र कर जैविक कूड़े से जैविक खाद तथा अजैविक कूड़े को रिसाइकिलिंग हेतु बेचा जाता है।

- इस योजना के तहत खुले में कूड़ा गिराना पूर्णरूप से प्रतिबंधित है तथा सभी लोगों से यह आग्रह किया गया है कि कूड़ा जैविक तथा अजैविक अलग-2 दो कूड़ेदानों में रखें तथा पर्यावरण मित्र के आने पर उन्हें सौंप दें।
- यदि पर्यावरण मित्र के आने तक कोई व्यक्ति घर में नहीं उपस्थित रहता है तो कूड़ेदानों को अपने गेट के भीतर इस प्रकार रखे कि पर्यावरण मित्र आकर स्वयं ले जायें।
- सभी सार्वजनिक स्थानों से कूड़ेदान हटा दिये गये हैं।
- जब सभी सफायी कर्मी अथवा दो सफायीकर्मी पर एक रिक 11 तथा प्रत्येक को दो-2 वाल्टी दी गयी हैं तो कही भी सार्वजनिक कूड़ेदान रखने की आवश्यकता नहीं पड रही है।
- सभी घरों में तथा दुकानों में दो -2 कूड़ेदान एक जैविक (सब्जी,फल,पत्ते तथा अनाज से संबंधित क्षय गील कूड़ा) तथा दूसरा अजैविक(कागज,प्लास्टिक,व अन्य सभी प्रकार का ठोस कूड़ा) लिखकर रखे गये हैं ।
- दुकानदारों /व्यवसायियों को दोनों कूड़ेदानों को दुकान के बाहर एक ही स्थान पर रखने के निर्देश दिए गये हैं जिससे कोई भी व्यक्ति संबंधित कूड़ेदान में ही संबंधित कूड़ा डाल सके।
- अधिकतर व्यवसायियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उनकी दुकानों में केवल अजैविक कूड़ा ही होता है इसलिए वे एक ही कूड़ादान रखेंगे तथा सब्जी बिक्रेताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उनकी दुकान में जैविक कूड़ा होता है इसलिए वे भी एक ही कूड़ादान रखेंगे। किन्तु अजैविक कूड़े वाले दुकानदार दिन में फल इत्यादि खाते हैं इसी प्रकार कुछ सब्जियाँ भी प्लास्टिक की पैकिंग पर आ रही हैं तथा यदि पॉलिथीन प्रयोग करते हैं तो फटने वाले पॉलिथीन को रखने की भी व्यवस्था करनी है। इस प्रकार व्यवसायियों के अतिरिक्त ग्राहकों को भी कूड़ा डालने की व्यवस्था की गयी है।
- श्रीनगर में सभी ट्रालियों, जिसमें सब्जियाँ, रेठियों यहाँ तक कि आइसक्रीम ट्रालियों में भी कूड़ेदान, ट्राली के आगे की ओर टांके गये हैं। कोई भी ग्राहक जब दुकान में आता है तो सभ्य संस्कृति युक्त न होने के कारण कूड़ा खुले में गिरा देते हैं यदि दुकानों के आगे दो कूड़ेदान रखे होंगे तो वे कूड़ा संबंधित कूड़ेदानों में ही डालेंगे।
- पर्यावरण मित्र/ सफायीकर्मी आकर अलग-2 किया हुआ कूड़ा रिसाइकिलिंग हेतु अथवा कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु ले जाते हैं।
- कूड़े का भाव:- यदि जैविक कूड़े से जैविक खाद बनायें तो कमसे कम 2 से लेकर 5 रू0 किलों तक बिकेगा । साधारण पॉलिथीन 2 रू0 कि0, दूध के पैकेट तथा पानी की बोतलें 8 रू0 किलों तथा अन्य प्रकार की साफ पॉलिथीन 10-12 रू0 प्रति किलो तक भी है।

- प्रत्येक धरो से इस कार्य के एवज में 10-10 रूपया दिया जा रहा है। जैविक खेती के महत्व को लोग सीधे समझ पायेंगे एवं खेतों में रसायनिक खादों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- पर्यावरण मित्र योजना अपनाने के लिए नगर पालिकायें ट्रेक्टर में कूड़ा रखने हेतु दो भाग कर सकते हैं तथा श्रीनगर की भौति सीटी बजाकर स्वयं दुकानों व घरों से कूड़ा एकत्र कर सकते हैं, कूड़े से प्राप्त आय सफाई कर्मियों/ पर्यावरण मित्रों के मध्य अवयव बंटना चाहिए। एक ट्रेक्टर के साथ 4 - 5 सफाई कर्मी पैदल चलकर भी घरों से जैविक तथा अजैविक कूड़ा उठाकर ट्रेक्टर में रख सकते हैं प्रत्येक घरों से 20-20 रूपया कार्य के एवज में प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत भाहरी एवं ग्रामीण श्रेत्रो में जन सहयोग से पेड भी लगाये जा रहे है।

पर्यावरण मित्र योजना के लाभ

- प्लास्टिक रिसाइकिलिंग होने से ट्रेचिंग ग्राउन्ड की समस्या नहीं रहेगी।
- अजैविक कूड़ा खुले में न जलने से बशैली गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा। जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम किया जा सकता है।
- यदि सभी लोग खुले में कूड़ा न गिराये तो गन्दगी से बीमारियों पर भी नियंत्रण हो सकता है।
- पॉलिथीन न खाने से जानवरों की अकाल मृत्यु नहीं होगी तथा जानवरों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
- पॉलिथीन खुले में व नालों में न गिरने से नाले बंद नहीं होंगे तथा मुम्बई जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
- यदि कूड़ा नहीं गिराया जायेगा तो नदियाँ दूषित नहीं होगी तथा गंगा एक प्लान जैसे भारी भरकम योजनाओं में अत्यधिक धन व्यय नहीं होगा।
- यदि सम्पूर्ण वि. व. में कागज रिसाइकिल किया जाय तो कागज उद्योगों पर पेडों की खपत कम होगी पेड कम कटेंगे तो पर्यावरण सम्बर्द्धन होगा।
- नगर पालिकायें यदि इस योजनाओं को अपनायें तो अजैविक कूड़ा विक्रय करने से तथा जैविक कूड़े से खाद बनाने से अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं यहाँ तक कि समस्त कर्मचारियों को इसी धन से बेतन दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर में प्रतिदिन 4 ट्राली कूड़ा एकत्र होता है एक ट्राली में 20 कुन्तल कूड़ा भी एकत्र हुआ तो 4 ट्रालियों में 80 कुन्तल अथवा 8000 किलो कूड़ा एकत्र होता है एक दिन में 8000 किलो गुना 2.00रूपया 16,000.00रूपया एक दिन की आय होती है इस प्रकार प्रतिमाह 4,80,000.00रूपया श्रीनगर जैसे छोटे भाहर में ही अर्जित किये जा सकते हैं, पूरे बर्श में 57.6लाख रूपया अर्जित होता है। यदि 100 कर्मचारी भी कार्य करें तो एक कर्मचारी को बर्श में 57,600.00 और माह में 4,800.00रूपया होता है

जबकि श्रीनगर नगर पालिका में 60-70 कर्मचारी ही हैं। इस योजना के लिए मात्र साइकिल रिक् गाँ में 2 या तीन भाग कर अथवा इतने ही संख्या में डिब्बे रखकर प्रत्येक घरों से कूड़ा लेकर इस योजना का लाभ आपकी नगर पालिका को मिल सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- अगर इसी प्रकार अन्य नगर पालिकायें भी इस योजना को अपनायें तथा सरकार द्वारा कूड़ा गिराने पर पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाय तथा बिदे गाँ की भाँति कूड़ा गिराने वालों से अर्थदण्ड वसूला जाय तो कूड़े से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से निजात मिल सकता है। श्रीनगर में कूड़े गिराने वालों पर 50 ₹ से लेकर 500.00₹ तक अर्थदण्ड लिया जा रहा है।
- यदि इस प्रकार से जैविक खाद हर नगर पालिकाओं में बनना भुरू हो जाय तो खेतों में अथवा कीचन गार्डनों में जैविक खाद का प्रयोग होने से सब्जियों व फलों का स्वाद बर्शों पूर्व की भाँति पुनः लौटेगा जिससे
- यदि समस्त भारत बर्श में यह योजना चलायी जाय तो जैविक खाद के वितरण व उत्पादन हेतु कृषि विभाग को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाना आव यक होगा जिससे विधिवत जैविक खाद का उपयोग तथा उत्पादन किया जा सके तथा अच्छे वैज्ञानिक पद्धति से जैविक खाद तैयार किया जा सके।
- उत्तरांचल सरकार के मनसूबों की भाँति यदि सभी लोग 20 -20 ₹ प्रतिमाह कूड़ा उठाने के एवज में दें तो वार्ड स्वच्छता समिति बनाने की आव यकता नहीं रहेगी वही दूसरी ओर वार्ड स्वच्छता समिति की भाँति जनसहभागिता होगी। यदि वार्ड स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता तो कुछ समितियाँ कार्य कर पायेंगी जबकि कुछ समितियाँ कार्य नहीं कर पायेंगी। इसलिए पर्यावरण मित्र जैसी योजना एकसूत्रीय योजना होने के कारण चिरस्थायी रहेगी, इस योजना में सुपरवाइजरो की तैनाती भी अतिआव यक होगी। यहाँपर यह देखा गया है कि कूड़े उठाने के एवज में मात्र 20 प्रति गाँ लोगों द्वारा ही 10-10₹ प्रतिमाह दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि स्वच्छता समितियाँ गठित भी की जायं तब भी लोगों द्वारा आर्थिक सहयोग पूर्णरूप से नहीं किया जायेगा जिससे समितियाँ स्थायी नहीं रह पायेंगी।
- अतः समस्त नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं के उपलब्ध सफायी कर्मियों के माध्यम से ही यह योजना चलायी जानी अतिआव यक है यदि कूड़े उठाने की एवज में 10 अथवा 20 ₹ प्रतिफल नहीं भी दिया गया तबभी पर्यावरण मित्र योजना के तहत जैविक तथा अजैविक अलग-2 किये गये कूड़े से प्राप्त आय सफायी कर्मियों के बेतन हेतु पर्याप्त होगा तथा अलग से श्रीनगर की भाँति योजना चलाने में कूड़ा मिश्रित (मिक्स) होने की पूर्ण सम्भावना है।
- कुछ कूड़ा इस प्रकार का भी होता है जो न तो रिसाइकिल किया जा सकता है और न ही कूड़े से खाद बनायी जा सकती है जैसे चिप्स, तम्बाकुओं के थैले आदि, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा प्लास्टिक भी होता है जो जैविक कूड़े के साथ मिक्स होता है इस प्रकार के

कूड़े से जापान जैसे देशों में बिजली तैयार भी की जा रही है। यदि जैविक और अजैविक कूड़ा अलग-अलग करने के उपरान्त इस प्रकार का कूड़ा भारी मात्रा में एकत्रित हो जाय तो संबंधित कम्पनी के मालिक के विरुद्ध गन्दगी के जुर्म में धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है जिससे वे इस तरह का पैक बनाये जो रिसाइकिल हो अथवा सम्बन्धित कम्पनी द्वारा अपने उत्पादों से उत्पन्न कूड़े का स्वयं निस्तारण की व्यवस्था हो।



योजना हेतु आवश्यक साधन

- 1) 200 परिवारों पर एक रिव गा, जैविक कूड़े हेतु दो कूड़ेदान तथा अजैविक कूड़े हेतु दो बोरे। 2) जैविक खाद बनाने हेतु ई0एम0 घोल। 3) जैविक कूड़ा ढकने हेतु पॉलिथीन अथवा टाट पट्टियाँ। 4) जैविक खाद बनाने हेतु टिन सैड व अजैविक कूड़ा संग्रह हेतु अन्य टिनसेट। 5) जैविक खाद संग्रह हेतु भण्डार कक्ष।
- इसके अतिरिक्त श्रीनगर में एक गौ आला का निर्माण भी किया गया है जिसमें दिन में सभी गाओं को नजदीकी जंगलों में चुगाने के लिए भेजा जा रहा है तथा रात्रि के समय गौ आला में सब्जी की दुकानों से प्राप्त जैविक कूड़े को चारे के रूप में दिया जा रहा है। तथा उनसे प्राप्त होने वाले गोबर को कूड़े में मिलाकर जैविक खाद तैयार की जा रही है। अतः कृपया श्रीनगर, कीर्तिनगर, नन्दप्रयाग, सतपुली की भाँति अपने क्षेत्रों में भी पर्यावरण

मित्र योजना अपनाइयें तथा पर्यावरण संरक्षण में सभी लोगों को भागीदार बनें।

विद्या विवादाय, धनम् मदाय, अक्ति परे ा, परिपीडनायः
खलस्य दसाधू विपरीत मेधा, ज्ञानाय, दानाय च रक्षणायः

कृपया आर्ये पर्यावरण मित्र योजना अपनाकर पर्यावरण को बचायें तथा आने वाली पीढ़ी का स्वच्छ वातावरण में जीने का अवसर दें।

(हरकसिंहं रावत)
उपजिलाधिकारी, श्रीनगर गढ़वाल
9412055740, 01346253406, 01346251178
इमेल: harakbhaga@rediffmail.com